प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

1. निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय / डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय, लखनऊ।
2. सम्बन्धित प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष / संयुक्त चिकित्सालय,
3. मुख्य चिकित्साधिकारी,

रायबरेली, बरेली, इलाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मैनपुरी, गोण्डा, बस्ती, झांसी, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, फैजाबाद एवं मेरठ।

पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCDCS / 03 / 2016–17 / 9291-3 दिनांक 21/01/17

विषय : वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला स्तरीय चिकित्सालयों में स्ट्रोक प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण हेतु Inj Alteplase 50(rTPA) के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया इस कार्यालय के पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0 / NCD / NPCDCS / 03 / 2016–17 / 8845–3 दिनांक 06 / 01 / 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा Inj Alteplase 50(rTPA) के क्रय प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

2. अतः भारत सरकार के अनुमोदन के क्रम में जनपदवार Inj Alteplase 50(rTPA) के क्रय हेतु कुल 198.70 लाख की धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार सम्बन्धित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समितियों के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है–

S.No.	Name of District	Name of Hospital	No of Vial	Total Amount	Total Amount for District
1	Lucknow	Civil Hospital	30	1221522	2443044.00
		Balrampur Hospital	30	1221522	
2	Raebareily	District Male Hospital	30	1221522	1221522.00
3	Bareily	District Male Hospital	24	977218	977218.00
4	Allahabad	T.B Sapru District Hospital	30	1221522	1221522.00
5	Azamgarh	District Male Hospital	30	1221522	1221522.00
6	Gorakhpur	District Male Hospital	30	1221522	1221522.00
7	Varanasi	DDU Hospital	30	1221522	1221522.00
8	Kanpur	District Male Hospital	30	1221522	1221522.00
9	Mainpuri	District Male Hospital	24	977218	977218.00
10	Gonda	District Male Hospital	8	325740	325740.00
11	Basti	District Male Hospital	30	1221522	1221522.00
12	Jhansi	District Male Hospital	30	1221522	1221522.00
13	Agra	District Male Hospital	24	977218	977218.00
14	Ghaziabad	MMG District Hospital	30	1221522	1221522.00
15	Meerut	District Male Hospital	30	1221522	1221522.00
16	Moradabad	District Male Hospital	24	977218	977218.00
17	Faziabad	District Male Hospital	24	977218	977218.00
Total			**488**	**19870094**	**19870094.00**

3. निदेशक, भण्डार, स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0 के स्तर से उक्त औषधि के दर अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, किन्तु दर अनुबंध में समय लग सकता है अतः अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 9/2016/234/पांच-1 -2016-3 (14)/2004 दिनांक 24/02/2016 के अनुसार डी0जी0एस0 एण्ड डी0/ई0एस0आई0सी0 अथवा तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन एवं आई0डी0पी0एल0 (इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि0, नई दिल्ली), बी0सी0पी0एल0 (बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि0, कोलकाता), एच0ए0एल0 (हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि0, पुणे), के0ए0पी0एल0 (कर्नाटक एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि0, बंगलोर) अथवा आर0डी0पी0एल0 (राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि0, जयपुर) में से जिस किसी भी संस्था की दरे न्यूनतम हो, उस पर दर अनुबंध अथवा मात्रा अनुबंध से अनाच्छादित औषधि क्रय की जानी है।

4. प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त औषधि का टी0एन0एम0एस0सी0 के अन्तर्गत दर अनुबंध है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यथासम्भव अन्य संस्था से जानकारी प्राप्त करते हुये आंवटित धनराशि की सीमा तक उपर्युक्त उल्लेखित शासनादेश के अनुसार Inj Alteplase 50(rTPA) का क्रय करने हेतु सम्बन्धित फर्म को तत्काल क्रयादेश जारी करना सुनिश्चित करेंगें तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा Inj Alteplase 50(rTPA) की आपूर्ति प्राप्त होते ही भुगतान करना सुनिश्चित करेंगें।

5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि Inj Alteplase 50(rTPA) क्रय हेतु आंवटित धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में उपलब्ध होते ही बिना किसी विलम्ब के सम्बन्धित जिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय को प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करेगें।

6. एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचार प्रसार मद में उपलब्ध धनराशि से जिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालयों में यह सुनिश्चित किया जाये कि चिकित्सालय में स्ट्रोक का प्रबन्धन किया जाता है।

7. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यकम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यकम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

8. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यकम की धनराशि दूसरे कार्यकमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

9. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

10. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

11. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

12. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

13. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

15. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

16. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

18/1

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/NPCDCS/03/2016–17/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन0पी0सी0डी0सी0एस0, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, भण्डार, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
8. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित।

(डा0 ए0 बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0